झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— राoखाoआo (निति) 17/2021— 356

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 05.04.2022

विषय :— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के उल्लंघन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः— आयोग का पत्रांक—718 दिनांक—02.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा कोरोना काल में बन्द रहे मध्याह्न भोजन एवं कूकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध नहीं कराने से सम्बन्धित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 की धारा—5 (1) के उल्लंघन होने का पत्र प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि मध्याह्न भोजन नियमावली के नियम—9 (1) के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं मध्याह्न भोजन नियमावली के नियम—9 (3) के तहत् जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रावधान है। आयोग ने आपने पत्र में सितम्बर, 2020 से दिनांक—02.11.2021 तक कूकिंग कॉस्ट की राशि एवं अण्डा अथवा फल दिये जाने वाले की राशि के भुगतान की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई थी, जो अब तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः निर्देश है कि प्रासंगिक पत्र के अनुपालन की दिशा में की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत करायें, अन्यथा आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु बाध्य होगा।

विश्वासभाजन

05/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Chairman Sir new\letter.docx30